

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25072022-237530 CG-DL-E-25072022-237530

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 370] No. 370]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2022/आषाढ 31, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2022/ASHADHA 31, 1944

## पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2022

नं. एनईआईजीआर-ई.III/5/2022.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग में सहायक लेखा अधिकारी और किनष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धित को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग निदेशक (ग्रुप 'बी' पद) भर्ती नियम, 2022 है।
  - (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण व वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों की की उपबंध अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएँ आदि भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएँ और संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
  - (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति जहाँ केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।
- 6. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जंजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक लेखा अधिकारी	03* (2022) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 7	पदोन्नति के मामले में चयन सीधी भर्ती के मामले में लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
आवश्यक:  1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से डिग्री।  2. सरकारी कार्यालय/पीएसयू/स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय में नकद, लेखा और बजट कार्य में 3 वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं	सीधी भर्ती और प्रोन्निति के लिए दो साल	2/3 पदोन्नति द्वारा 1/3 सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नित: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में किनष्ठ लेखा अधिकारी, ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा के साथ और आईएसटीएम में नकद और लेखा कार्य में सफल प्रशिक्षण प्राप्त किया है या अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की है।

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उस	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	
12		13
1. निदेशक, नीग्रिम्स	- अध्यक्ष	लागू नहीं
2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर)	- सदस्य	N
<ol> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> </ol>	- सदस्य	*
4. संबंधित विषय का विशेषज्ञ	- सदस्य*	
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य	- सदस्य	
<ol> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	- सदस्य सचिव	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
कनिष्ठ लेखा अधिकारी	04* (2022) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'बी'	वेतन मैट्रिक्स का स्तर 6	पदोन्नति के मामले में चयन सीधी भर्ती के मामले में लागू नहीं	35 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति, आमेलन किया जाना है
7	8	9	११वशव	11
आवश्यक:  1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से डिग्री।  2. सरकारी कार्यालय/पीएसयू/स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय में नकद, लेखा और बजट कार्य में 2 वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं	सीधी भर्ती और प्रोन्नित के लिए दो साल	पदोन्नति द्वारा 50% सीधी भर्ती द्वारा 50%	पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 4 में कैशियर, ग्रेड में दस साल की नियमित सेवा के साथ और आईएसटीएम में नकद और खातो के काम में स्फल प्रशिक्षण प्राप्त किया है या अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की है

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उस	न समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?		
12		13	
1. निदेशक, नीग्रिम्स	– अध्यक्ष	लागू नहीं	
2. अवर सचिव (पूर्वोत्तर)/अनुभाग अधिकारी (पूर्वोत्तर)	– सदस्य		
<ol> <li>उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)</li> </ol>	– सदस्य		
4. संबंधित विषय का विशेषज्ञ	– सदस्य*		
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य	– सदस्य		
<ol> <li>उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)</li> </ol>	– सदस्य सचिव		

प्रो. नलिन मेहता, निदेशक, नीग्रिम्स [विज्ञापन III/4/असा./181/2022-23]

# NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH & MEDICAL SCIENCES, SHILLONG

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th July, 2022

No. NEIGR-E.III/5/2022.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Accounts Officer and Junior Accounts Officer, North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong, namely:-

- 1. Short title and commencement (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong Group B posts Recruitment amendment Rules, 2022.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in Pay Matrix The number of the said post, its classification and level in the Pay Matrix attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc. The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification No person,
  - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to Relax Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Ministry of Health & Family Welfare, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.
- 6. Saving Nothing in these rules shall affect reservation relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Exservicemen, Persons with Disabilities and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Assistant Accounts Officer	03* (2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B'	Level 7 of Pay Matrix	Selection in case of promotion  Not applicable in case of direct recruitment	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants' upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
7	8	9	10	11
Essential:  1. Degree from a recognized University/Institute  2. 3 (three) years' experience in Cash, Accounts and Budget work in a Government Office / PSU/Autonomous Body / Statutory Body.	Not applicable	Two years for direct recruit	2/3 <sup>rd</sup> by promotion 1/3 <sup>rd</sup> by direct recruitment	Promotion: Junior Accounts Officer in Level 6 of Pay Matrix, with five years regular service in the Grade and undergone successful training in cash and accounts work in ISTM or have passed Subordinate Accounts Service examination

If a Selection Committee / Departmental Promotion is its composition	Committee exists what	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12		13
1. Director, NEIGRIHMS	- Chairperson	Not applicable
2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE)	– Member	
3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong (Not below the rank of Under Secretary)	- Member	
4. An expert in the relevant subject	- Member*	
5. A co-opted member from SCs/STs	– Member	e e
6. Deputy Director(Administration), NEIGRIHMS (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	- Member Secretary	-

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Junior Accounts Officer	04* (2022) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B'	Level 6 of Pay Matrix	Selection in case of promotion  Not applicable in case of direct recruitment	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants' upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
Essential:  1. Degree from a recognized University/ Institute.  2. 2 (two) years' experience in Cash, Accounts and Budget work in a Government Office / PSU / Autonomous Body/ Statutory Body.	Not applicable	Two years for direct recruit and promotees	50% by promotion 50% by direct recruitment	Promotion: Cashier in Level 4 of Pay Matrix, with ten years regular service in the Grade and undergone successful training in cash and accounts work in ISTM or have passed Subordinate Accounts Service examination

which Union Public n to be consulted in
3

Prof. NALIN MEHTA, Director, NEIGRIHMS [ADVT.-III/4/Exty./181/2022-23]